

बिहार सरकार  
कृषि विभाग

पत्र सं०- 13/सू०को०-53/08- 1220


/क०, पटना, दिनांक- 07/03/2018

आदेश

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा- 5(1) एवं (2) तथा धारा- 19(1) के प्रावधानों के तहत सूचना प्रकटन तथा एतद संबंधी अपीलीय मामलों के कार्यान्वयन हेतु श्री रवीन्द्र नाथ राय, विशेष सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना को प्रथम अपीलीय प्राधिकार के रूप में पदाभिहित किया जाता है।

2. इस संबंध में पूर्व निर्गत विभागीय आदेश संख्या- 3083 दिनांक- 11.07.2014 को इस हद तक संशोधित किया जाता है।

3. इस आदेश में माननीय मंत्री, कृषि का अनुमोदन प्राप्त है। यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

  
06/03/18

( विनोद रजक )

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञाप सं०- 1220

/क०, पटना, दिनांक- 07/03/2018

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव, बिहार, पटना/सचिव, राज्य सूचना आयोग, बिहार, पटना /सभी विभागाध्यक्ष, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


  
06/03/18

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञाप सं०- 1220

/क०, पटना, दिनांक- 07/03/2018

प्रतिलिपि : कृषि निदेशक/विशेष सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना/कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/ प्रधान सचिव कृषि के आप्त सचिव/निदेशक, भूमि संरक्षण/निदेशक, पी०पी०एम०/सभी संयुक्त कृषि निदेशक/अवर सचिव/संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
06/03/18


सरकार के अवर सचिव।

ज्ञाप सं०- 1220

/क०, पटना, दिनांक- 07/03/2018

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आई०टी० मैनेजर को निदेश दिया जाता है कि इसे विभागीय वेब-साईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

  
06/03/18

सरकार के अवर सचिव।